

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं० ३७/११९ वर्ष २०१९

राजस्थान सरकार बनाम सुनील कुमार / नीलराज मेघवाल

प्रस्तुतिकरण दिनांक २७/११/१९ निर्णय दिनांक १०/११/१९

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
१०/१०/१९	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् २०७६ में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का १६९५ का प्रतिवेदन दिनांक २७/११/१९ को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सुनील कुमार पुत्र नीलराज जाति मे.श.व.प. निवासी इन्दौर को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत चक १५९९९ मु.नं. २०६/५४३ कुल ५०८०७ है० सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू० राजस्व की दर का ५० गुणा राशि ५२६/१ शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू०अधि० कृपानी को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलास करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक १०/१०/१९ को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. ९७ की क्रम सं. ०१ दिनांक २५-१०-१९ को ५२६ - दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">ता०रा०ले०</p>	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

1. (सोलदार (राजस्थान))

श्री विजयनगर

आज निर्दिष्ट तहसीलदार / जयस तहसीलदार राजस्थान श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर

संख्या दुर्गा सुमार 20 लीकुराम जति अरुवाल साठ झडपुरा
 किसल मुकदमा ग. न. अ. अ. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 97/19 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का निर्दिशयत्त्व जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
---------------	---------------------------------------	---

27/9/19

पत्रकारी हुकम 16 A.S. सुप्री ने रिपोर्ट पेश कर निकटन किया है कि चक्र नं. 14 ASA के मुकाम नं. 206 के 4.227 बीघा, धूमि रकबा राज है जिस पर श्री दुर्गा सुमार एवं श्री लीकुराम जति अरुवाल सा झडपुरा ने अधिकार का सम्बन्ध 2076 फसल रुपाम का जयस कागज कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवृत्तन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

20वीं

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हुकम को कुर्की के आदेश दिये जावे।

पत्रावली दिनांक 10/10/19 को पेश है।

पत्रावली प्रप्तुन अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अधिकारी घोषित किया जाकर शांति अधिरांपित की गई निर्णय पत्रक से लिखवाया गया।

28/01/2020 पत्रावली पेश हुई I LA कृपली बाग
फर्दे निलामी पेश की गई सर्वाधिक
बोली दत्ता कृष्णलाल 510 बाबू राम काम
जाट ला. कृपली की 1300/- रुपये की
रही छह बोली स्वीकार की गई I LA द्वारा
निलामी यंत्रों परिये चालक सत्या 403 कि 1510 रु
द्वारा राशि कोष में जमा करवा दी गई है, जो शामिल
मिसल 8 की जेबो मांग दर्ज लेवा की जेबो पत्रावली
द्वारा अतिरिक्त को वेदावल कट करवा
करके सत्कार जाट कट लिखा गया है क ताकत
यागि वृद्ध कट ली गई है; पत्रावली में शेष कार्यावाही
अपेक्षित नहीं है, अतः पत्रावली फंसला समाप्त होकर
द्वारिण्य दफात है।

श्रीमान् तहसीलदार मह
तहसील, श्रीविज
निवेदन है